Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अनुच्छेद 356 के संघटक शब्दों का विश्लेषण

डॉ. नीलम एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान

बनवारी लाल जिंदल सुईवाला महाविद्यालय, तोशाम

संक्षेप

भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अंगीकृत किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था संघवाद का आदर्श नहीं है इसमें एकात्मकता के तत्व प्रबल रूप से परिलक्षित होते हैं। अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत संघ को यह कर्त्तव्य सौंपा गया है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आन्तरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य को सुरक्षा प्रदान करें तथा प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबन्धों के अनुरूप चलाया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार अनुच्छेद 355 के माध्यम से अपने दायित्व के निर्वहन के लिए संघ सरकार को राज्यों में संवैधानिक तन्त्र की विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके हस्तक्षेप करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस शक्ति के प्रयोग से राष्ट्रपति राज्य की जन-निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर सकता है तथा राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। इसे 'राज्यों में राष्ट्रपति शासन' के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति अथवा संघीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रावधान केवल भारतीय संविधान की ही विलक्षणता है, जो कि इसे अन्य संघीय संविधानों से भिन्न स्वरूप प्रदान करती है। प्रस्तुत शोधपत्र में संविधान के अनुच्छेद 356 के शाब्दिक अर्थ पर प्रकाश डाला गया है।

भूमिका

भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' (union of states) कहा गया है। प्रारूप समिति (drafting committee) के अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारत को 'राज्यों का संघ' कहने के दो अर्थ है - प्रथम, भारतीय संघ किसी संविदा का परिणाम

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

नहीं है। द्वितीय, इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। भारत के संघीय स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करते हुए डा. अम्बेडकर ने कहा कि संविधान में दोहरे शासन तन्त्र की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत केन्द्र में संघीय सरकार तथा इसकी परिधि में राज्य सरकारें संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती हैं। संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें केन्द्र को राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग केन्द्र की कार्यपालिका शक्तियों को मद्देनजर रखकर ही करना होता है ताकि केन्द्र की कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त संविधान में कई अनुच्छेद जैसे — अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 350 (क) आदि विद्यमान है जिसके आधार पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकती है। यदि संघीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की राज्य सरकार द्वारा अवमानना की जाती है तो अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। अनुच्छेद 356 को पूर्ण रूपेण जानने के लिए इसके संघटक शब्दों को समझना आवश्यक है।

अनुच्छेद 356 : संघटक शब्द (Component Words) —

यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से या राजप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या 'अन्यथा', यह समाधान हो जाता है कि ऐसी उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा —

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

(क) उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य राज्यपाल या राजप्रमुख या राज्य के विधानमण्डल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकेगा...

अनुच्छेद 356 से सम्बन्धित प्रावधान को पूर्ण रुप से जानने के लिए इस अनुच्छेद के प्रत्येक उपखंड (clause) का विश्लेषण करना आवश्यक है।

राष्ट्रपति (President) —

अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि 'राष्ट्रपति'...। इससे यह उत्कंठा स्वाभाविक है कि 'राष्ट्रपति' शब्द का सटीक तात्पर्य क्या है ?

'राष्ट्रपति' का अर्थ है केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी है. जिसमें विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसमें आपातकालीन शक्तियाँ भी अन्तर्विष्ट हैं, कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) में निहित है। अतः आपातकाल की उद्घोषणा की शक्ति केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् में निवास करती है। 'राष्ट्रपति' शब्द का प्रयोग संवैधानिक अर्थ में किया गया है। केवल मात्र संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से ही कर सकता है। वह स्वविवेकीय आधार पर कुछ नहीं कर सकता। वह हमेशा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् द्वारा निर्देशित किया जाएगा। अम्बेडकर के अनुसार राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता उसके पास केवल दो विशेषाधिकार है :

(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा (2) संसद को भंग करने का अधिकार।

राष्ट्रपति की शक्तियों से सम्बन्धित अनुच्छेद 74 पर विचारमंथन के समय अम्बेडकर ने कहा कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर ही कार्य कर सकता है और सदैव सलाह पर ही

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

कार्य करेगा। रामजवाया बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में विनिर्दिष्ट किया कि —

"हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 (1) के अन्तर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कन्तु अनुच्छेद 74 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को अपने कृत्यों के प्रयोग करने में सहायता एवं मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका (प्रधान) अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष बनाया गया है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है...। अतएव भारत के संविधान में इग्लैंड जैसी ही संसदीय शासन प्रणाली है।"

1976 से पूर्व संविधान में यह स्पष्ट उपबंध नहीं था कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 में संविधान के अनुच्छेद 74 (1) में संशोधन करके स्थिति स्पष्ट कर दी गई है यथासंशोधित अनुच्छेद 74(1) के अनुसार 'राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।' जनता पार्टी सरकार द्वारा संविधान में किए गए 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में (संवैधानिक तंत्र की विफलता के सन्दर्भ में) कटौती कर दी गई है। ऐसी उद्घोषणा राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं कर सकता इसके लिए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति भी आवश्यक है।

44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को एक नई शक्ति प्रदान की गई है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक खण्ड और जोड़ दिया गया है कि 'राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् से सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।'

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय को पुनर्विचार के लिए भेजे जाने पर यदि मन्त्रिपरिषद् अपनी पहले दी गई सलाह पर ही अडिग रहती है तो राष्ट्रपति के पास उसके अनुसार कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहता। पुनर्विचार के लिए किसी विषय को वापस भेजने की शक्ति का प्रयोग एक विषय पर केवल एक बार ही किया जा सकता है। अतएव यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ उसके मन्त्रियों की शक्तियाँ हैं।

समाधान (Satisfaction) —

अनुच्छेद 356 के अनुसार "यदि राष्ट्रपति का समाधान...."

राष्ट्रपति का समाधान अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही की प्रथम एवं अनिवार्य शर्त है। आपातकाल को प्रवृत करने की सम्पूर्ण योजना में इस शब्द का वर्णन विशेष रुप से किया गया है। इस सन्दर्भ में कुछ विद्वानों का मत है कि यदि इस प्रावधान में 'समाधान' की व्याख्या मन्त्रिपरिषद् के समाधान के रुप में की जाती है, तभी संघीय शासन प्रणाली में राज्यों में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया एवं स्वायत्तता सुरक्षित रह सकती है अन्यथा नहीं। लोकसभा के भूतपूर्व स्पीकर जी.वी. मावलंकर ने भी इसी विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है जो कि सरकार की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति के समाधान का वास्तविक अर्थ है सरकार का समाधान।

यद्यपि 44वें संशोधन विधेयक द्वारा अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार पर से प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है तथापि अनुच्छेद 74(2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के सन्दर्भ में मन्त्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गई सलाह की जाँच पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रतिबन्ध विद्यमान है। इसलिए सरकारिया आयोग द्वारा सिफारिश की गई कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण को और अधिक सार्थक बनाए जाने के लिए

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने के आधार एवं तथ्यात्मक सामग्री को उद्घोषणा का अभिन्न भाग बनाया जाना चाहिए।

राज्यपाल का प्रतिवेदन (Governor's Report) —

राज्यपाल का प्रतिवेदन प्रेषित करने का दायित्व अनुच्छेद 355 पर आधारित है तथा अनुच्छेद 356 में भी इसका वर्णन विशेष रुप से किया गया है। अनुच्छेद 355 के अनुसार केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह संघ की इकाइयों में शासन का, संविधान के उपबंधों के अनुरुप, संचालन सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्यपाल, केन्द्रीय सरकार का अभिकर्त्ता होने के कारण यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की नीतियाँ, निर्देश एवं संवैधानिक उत्तरदायित्वों का पालन ठीक ढंग से किया जा रहा है या नहीं। यदि राज्य सरकार संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन कर रही हो तो राज्यपाल प्रतिवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को सूचित करता है तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है।

इस प्रकार राज्यपाल के पास, प्रतिवेदन के माध्यम से, राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति से अवगत कराते हुए राज्य का शासन अपने हाथ में लेने की सलाह देने का अधिकार है परन्तु वह स्वयं उद्घोषणा जारी नहीं कर सकता।

व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना एक विस्फोटक एवं अप्रत्याशित घटना के रूप में प्रकट नहीं होता, क्योंकि गृहमंत्रालय, राज्यपाल के पाक्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से तथा अपने अन्य स्त्रोतों के माध्यम से प्रत्येक राज्य की परिस्थितियों के आकलन में सदैव तत्पर रहता है।

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

राज्यपाल को संसदीय प्रणाली की रक्षा के लिए निर्लिप्त एवं निष्पक्ष निर्णायक की भांति कार्य करना चाहिए। इस भूमिका के निर्वहन में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजते समय अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए तथा ऐसे मामलों में वह मन्त्रिपरिषद् की सलाह से आबद्ध नहीं है। कुछ विषयों में राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् की सलाह के बिना, परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतन्त्र है, यद्यपि संविधान में उनका स्वविवेकीय शक्तियों के रूप में वर्णन नहीं किया गया क्योंकि हो सकता है कि यह प्रतिवेदन स्वयं मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों का आलोचना-पत्र हो कि राज्य में शासन संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा अथवा ऐसी स्थिति जहाँ मंत्रिपरिषद् ने त्यागपत्र दे दिया है और दूसरा वैकल्पिक मंत्रिपरिषद् नहीं बनाया जा सकता,

तब राज्यपाल को सलाह उपलब्ध ही नहीं हो सकती। इसलिए अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत प्रतिवेदन भेजते समय राज्यपाल स्वविवेकानुसार कार्य कर सकता है तथापि यह एक वाद-विवाद का विषय है।

'अन्यथा' (Otherwise) —

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह न केवल राज्यपाल का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपितु 'अन्यथा' अर्थात् अन्य स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। 'अन्यथा' शब्द अत्यन्त व्यापक है इसे दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। प्रथम, राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल का प्रतिवेदन अनिवार्य शर्त नहीं है। यदि उसे राज्यपाल से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता तो भी वह इतना सक्षम है कि परिस्थितियों का स्वयं आकलन कर सकता है। द्वितीय, राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा आपातकाल की अनुशंसा से सम्बन्धित प्रतिवेदन को स्वीकृत एवं अस्वीकृत

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

करने के लिए निर्णय लेने में स्वतन्त्र है। इस प्रकार सैद्धान्तिक रूप से शब्द 'अन्यथा' संविधान की रक्षा के उत्तरदायित्व का समस्त बोझ राज्यपाल के कंधों से राष्ट्रपति की ओर हस्तांतरित करता है।

संविधान सभा में अम्बेडकर ने इस शब्द को संविधान में समाविष्ट करने का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा कि संघीय सरकार पर संघीय इकाइयों एवं संविधान की रक्षा का दायित्व होने के कारण यह उचित नहीं होगा कि राष्ट्रपति के कार्यों पर प्रतिबन्ध और सीमाएं निश्चित की जाएं। क्योंकि सम्भव है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को कोई प्रतिवेदन ही न भेजा जाए। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं करता किन्तु कुछ तथ्यों की मांग के कारण वह राज्य के शासन में अपना हस्तक्षेप अनिवार्य समझता है, तो वह राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। निःसन्देह व्यवहार में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर ही कार्य करता है परन्तु अनुच्छेद 356 में 'अन्यथा' शब्द का समावेश दर्शाता है कि राष्ट्रपति के समाधान का आधार अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सामग्री (तथ्य) भी हो सकती है। हमारे संविधान की यह विलक्षणता प्रभावपूर्ण ढंग से संघीय सिद्धान्त के अतिक्रमण को दर्शाती है।

बोम्मई प्रकरण में अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में प्रकट किए गए मत का समर्थन किया गया है कि राष्ट्रपति को, राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित न करने पर भी, कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। 'अन्यथा' शब्द अत्यन्त व्यापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को, राज्यपाल से प्रतिवेदन के बिना भी, अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राज्य सरकारों को अपदस्थ करने की विस्तृत शक्तियाँ प्रदान करता है। अतिरिक्त (additional) सूचना तंत्र में, राष्ट्रपति के स्वयं के दल की दलीय हाई-कमान्ड, सम्बन्धित राज्य

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

विधानमण्डल के सदस्य, राज्य के असन्तुष्ट विधायक अथवा राजनीतिज्ञ आदि सूचना-प्रेषक हो सकते हैं।

शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता (Government cannot be carried on in accordance with the Provision of the Constitution) —

संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद अनुच्छेद 356 के प्रयोग से सम्बन्धित विवाद का मूल कारण इस वाक्यांश 'शासन संविधान के उपबंधों के अनुरुप नहीं चलाया जा सकता,' की अस्पष्टता में निहित है। जब पंडित हृदय नाथ कुंजरु ने संविधान सभा के समक्ष यह प्रश्न उठाया कि 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' का क्या अर्थ है। तब अम्बेडकर ने प्रत्युत्तर दिया कि 'शासन संविधान के अनुरुप क्रियान्वित होना चाहिए' से हमारा अभिप्राय वही है जो कि अमेरिका के संविधान का है। तदन्तर इसी विषय पर अम्बेडकर ने कहा कि "मेरे लिए प्रत्येक अनुच्छेद का अर्थ बता पाना तो कठिन है। न ही में यह बता सकता हूँ कि कौन से सिद्धान्तों का उल्लंघन करने से संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा। 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' वाले वाक्यांश का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किया गया था अतः इसका वास्तविक एवं कानूनी अर्थ सबको विदित है। मेरे विचार में इससे अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।" संविधान सभा के एक सदस्य ने व्यंग्यात्मक रुप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "इसके प्रारुप को तैयार करने का ढंग 'भ्रामक' है, इसकी 'अस्पष्टता की सावधानीपूर्वक रक्षा' की गई है। प्रारुप समिति द्वारा इसकी अस्पष्टता और अनिश्चितता के लिए प्रशंसा के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते।" संविधान सभा के वाद-विवाद में इस वाक्यांश का अर्थ अस्पष्ट ही रहा। 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' के कुछ निम्नांकित अर्थ निश्चित किए गए हैं -

(1) जब कोई राजनैतिक दल चुनाव में स्पष्ट बहुमत से विजयी होने के पश्चात न केवल स्वयं सरकार बनाने से इन्कार कर दे अपितु अल्पमत सरकार को भी समर्थन देने से इन्कार कर दे अथवा चुनाव में कोई भी राजनैतिक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर सके तथा संयुक्त सरकार गठित होने की सम्भावना न होने पर राजनैतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया हो।

(2) जब सत्तारुढ़ मंत्रिपरिषद् द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए अथवा विधानसभा में सत्तारुढ़ दल का बहुमत समाप्त हो जाने के कारण मंत्रिपरिषद् को अविश्वास प्रस्ताव पास करके अपदस्थ कर दिया जाए तथा वैकल्पिक सरकार सदन में बहुमत प्राप्त न कर पाए।

(3) जब राज्य में बहुमत प्राप्त सरकार द्वारा जानबूझ कर संविधान एवं कानूनों का उल्लंघन करके संविधान के प्रतिकूल कार्य निर्वहन किया जाए।

(4) जब मंत्रिपरिषद् संवैधानिक शक्तियों को संविधान के प्रतिकूल अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाए।

(5) जब राज्य में मंत्रिपरिषद् केन्द्रीय सरकार के निर्देश के अनुपालन से इन्कार कर दे।

(6) जब राज्य में आन्तरिक हिंसा अथवा राज्य द्वारा विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा बाह्य आक्रमण या किसी अन्य कारण से कानून एवं व्यवस्था भंग हो गई हो।

(7) जब राज्य के आर्थिक कार्यक्रम केन्द्र के आर्थिक कार्यक्रमों के प्रतिकूल हो।

(8) जब विधानसभा के सदस्यों में दलबदल से राज्य का राजनैतिक वातावरण दूषित हो जाए।

(9) जब राज्य में बहुमत प्राप्त दल अल्पमत में आ जाए।

(10) यदि राज्य में जन आंदोलन के फलस्वरुप प्रशासकीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाए।

(11) यदि नवगठित राज्यों में विधानसभा के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई हो आदि।

आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध(Incidental and Consequential Provisions) —

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका से संबंधित प्रावधानों को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है। परन्तु राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य (exerciseable) कोई भी शक्ति अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालय से सम्बन्धित संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णतः या अशंतः निलम्बित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा **के प्रभाव** —

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तब राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा द्वारा-

(क) उस राज्य की कार्यपालिका के या किसी अन्य प्राधिकारी के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकेगा। केवल उच्च न्यायालय के कृत्य नहीं लिए जा सकेंगे, और

(ख) यह घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जा सकेगा। संक्षेप में ऐसी उद्घोषणा के द्वारा संघ न्यायिक कृत्यों के अतिरिक्त राज्य प्रशासन के सभी कृत्यों पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है।

जब उद्घोषणा द्वारा राज्य विधानमण्डल को निलम्बित किया जाता है तब,-

(क) संसद उस राज्य के लिए विधान बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन राष्ट्रपति को या किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कर सकती है,

(ख) राष्ट्रपति, जब लोकसभा सत्र में न हो तब संसद द्वारा ऐसे व्यय की स्वीकृति दिए जाने तक, राज्य की संचित निधि से व्यय प्राधिकृत कर सकेगा, और

(ग) राष्ट्रपति, जब संसद सत्र में न हो तब राज्य के प्रशासन के लिए अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा।

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

संसद द्वारा अनुमोदन (Parliamentary Approval) —

अनुच्छेद 356 के उपखंड 3 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी और जहाँ वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहाँ पर वह दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।

अनुच्छेद 356 का उपखंड (3) न तो यह दावा करता है कि उद्घोषणा केवल दोनों सदनों के अनुमोदन पर ही प्रवृत होगी और न ही इस बात का समर्थन करता है कि संसद द्वारा निरनुमोदन (disapproval) की स्थिति में यह दो मास की अवधि पूर्ण होने से पहले ही प्रवर्तन में नहीं रहेगी। उपखंड (3) संसद के दोनों सदनों को यह शक्ति प्रदान नहीं करता कि वे निरनुमोदन द्वारा 2 मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही उद्घोषणा को समाप्त कर दें। यदि उद्घोषणा की अवधि दो मास से अधिक बढ़ानी हो तभी संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है।

राज्य विधानसभा का विघटन (Dissolution of Legislative Assemblies) —

अनुच्छेद 174(2) (ख) के अन्तर्गत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यपाल की यह शक्ति राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। बोम्मई प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार का पद पर बने रहना सम्भव नहीं है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को पद पर बनाए रखते हुए राज्य सरकार की शक्तियों एवं कार्यों को सम्पादित नहीं कर सकता, एक ही क्षेत्र में दो सरकारें नहीं हो सकती।

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि विधानसभा को विघटित करने की शक्ति अनुच्छेद 356 (1) में निहित है तथापि सम्पूर्ण संवैधानिक योजना को समक्ष रखते हुए राष्ट्रपति इसका प्रयोग केवल तभी करेगा जब खंड (3) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन कर देंगे। जब तक उद्घोषणा का दोनों सदन अनुमोदन न कर दें तब तक राज्य की विधानसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, विधानसभा को केवल निलम्बित रखा जा सकता है। यदि किसी प्रकरण में संसद के दोनों सदन अनुमोदन नहीं करते तो दो मास की समाप्ति पर उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में राज्य की अपदस्थ सरकार पुनः जीवित हो जाएगी तथा सजीव-स्थगन (suspended animation) में रखी गई विधानसभा पुनः कार्य करने लगेगी।

राज्य विधानमण्डल की शक्तियों का प्रत्यायोजन(State Legislature Delegation of Power Bill) —

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गई उद्घोषणा में अनेक संवैधानिक एवं कानूनी परिणाम निहित हैं। इसका महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि राज्य विधानसभा एवं कार्यपालिका का स्थान संघीय सरकार ग्रहण कर लेती है। परन्तु कार्य की अधिकता के कारण संसद के लिए राज्य की विधायी शक्तियों का स्वयं क्रियान्वयन कठिन है। इसलिए अनुच्छेद 357 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि संसद सम्बन्धित राज्य के लिए विधान बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन राष्ट्रपति को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को कर सकती है। इस उपबंध के अनुसार भारत सरकार के अधिकारी अथवा प्रान्तीय सरकार के अधिकारी में से किसी को भी, संसद अथवा संसद द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किसी अभिकरण को कानूनों को लागू करने की, सत्ता सौंपी जा सकती है। साधारणतया राज्य

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

विधानमण्डल की शक्तियों का प्रत्यायोजन राष्ट्रपति को किया जाता है। संसद उद्घोषणा के अनुमोदन के समय यह व्यवस्था कर देती है।

विधायी विषयों के लिए सलाहकार समिति (Consultative Committee on State Legislative Procedure) —

राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के विधायी विषयों पर परामर्श के लिए संसद के दोनों सदनों की एक परामर्शदात्री समिति बनाई जाती है। साधारणतया इस समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य 1:2 के अनुपात में लिए जाते हैं। ये सदस्य लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। गृह मन्त्रालय द्वारा वर्ष में दो या तीन बार इसकी बैठक की जाती है। बैठक की अध्यक्षता संघीय गृहमंत्री द्वारा की जाती है। सामान्यतः सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल भी इस बैठक में सम्मिलित होता है तथा राज्य में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। सम्बन्धित राज्य के संसद सदस्य इन कार्यों में ज्यादा रुचि लेते है तथा सम्बन्धित राज्य के लिए विधि निश्चित करते समय राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने में इनकी अहम् भूमिका होती है। सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्य केवल मात्र सलाह देना होता है। राष्ट्रपति इनकी सलाह को मानने के लिए आबद्ध नहीं होता।

राज्य विधानमण्डल का बजट पास करना (Enactment of the State Budget) —

संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के विधानमण्डल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। यहाँ तक कि सम्बन्धित राज्य के वित्तीय कार्य भी संसद द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन के समय सम्बन्धित राज्य का बजट पास करने का संवैधानिक दायित्व संसद पर है। बजट केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट पर वाद-विवाद में

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सम्बन्धित राज्य के संसद सदस्य ही ज्यादा भाग लेते है। यह वाद-विवाद बहुत कम समय में ही समाप्त हो जाता है।

राष्ट्रपति शासन का क्रियान्वन (Modality of President's Rule) —

सामान्यतः गृहमन्त्रालय किसी भी राज्य में 'संवैधानिक तन्त्र की विफलता' की संभावना का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। यह विभाग राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को, राज्य की कार्यवाही के सन्दर्भ में, प्रेषित किए जाने वाले प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करता है तथा केन्द्रीय सरकार के अपने गुप्तचर स्त्रोतों से भी सूचना संग्रहीत करता है। साधारणतया राज्यपाल औपचारिक रुप से इससे सम्बन्धित प्रेतिवेदन प्रेषित करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार द्वारा, इसकी स्वीकृति के प्रति स्वयं को आश्वस्त कर लेता है। राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता की सम्भावना होने पर राज्यपाल दिल्ली में केन्द्रीय मन्त्रियों मुख्यतः प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री से सम्पर्क करता है। इन नेताओं से व्यक्तिगत रुप से मिलकर अथवा टेलीफोन पर विचार-विमर्श के उपरान्त ही वह औपचारिक रुप से राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रेषित करता है तथा इसकी एक प्रति प्रधानमंत्री को भी प्रेषित करता है। यह प्रतिवेदन डाक की बजाय विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाता है। राज्यपाल का प्रतिवेदन राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा प्रधानमंत्री को प्रेषित कर दिया जाता है।

अधिकांशतः राज्यपाल का प्रतिवेदन मात्र औपचारिकता होती है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रेषित करने के उपरान्त मंत्रिपरिषद् की राजनैतिक मामलों की समिति (political affairs committee) द्वारा इस पर विचार-विमर्श किया जाता है। मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है तथा सम्बन्धित राज्य में राजनैतिक घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए राज्यपाल का प्रतिवेदन मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

करता है । वाद-विवाद के उपरान्त मंत्रिपरिषद् का निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति को, प्रेषित किया जाता है। गृहमंत्रालय एक बार फिर क्रियाशील हो जाता है तथा राष्ट्रपति के नाम पर एक विज्ञप्ति (notification) तैयार करता है। जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा इस विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए जाते है यह अधिसूचना गजट-विशेष (Gazette extraordinary) में जारी कर दी जाती है तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।

अनुच्छेद 356 (3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की गई ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करनी आवश्यक है। दोनों सदनों द्वारा समर्थन के अभाव में यह उद्घोषणा दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी । यदि दोनों सदन उद्घोषणा का समर्थन कर देते है तो यह एक बार में छह मास तक प्रवर्तन में रहेगी तथा अधिकतम तीन वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार उद्घोषणा की अवधि एक वर्ष से आगे केवल दो आधारों पर बढ़ाई जा सकती है —

(क) ऐसे संकल्प के पारित होने के समय सम्पूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवृत है, और

(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवर्तन में रखना, सम्बन्धित राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाई के कारण , आवश्यक है।

राष्ट्रपति शासन की समाप्ति —

राष्ट्रपति शासन समाप्त करने का प्रारम्भ भी औपचारिक रुप से इस विषय में राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति को, प्रेषित किए गए प्रतिवेदन से होता है । राष्ट्रपति द्वारा यह प्रतिवेदन मंत्रिपरिषद् में विचार-विमर्श के लिए प्रधानमंत्री को प्रेषित किया जाता है। तदुपरांत प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद् के निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है। इस प्रतिवेदन पर मंत्रिपरिषद् का निर्णय एक आवश्यक संवैधानिक औपचारिकता है । इस प्रकार

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 3.886|
Vol. 05 Issue 03, March- 2010
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति एक अधिसूचना के माध्यम से सम्बन्धित राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर देता है।

निष्कर्ष

संविधान निर्माता भारत की सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में संघीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत संघ की इकाइयों द्वारा सफलता पूर्वक कार्य- निष्पादन के प्रति आश्वस्त नहीं थे। संविधान निर्माताओं के मन में उपजी यह आशंका ही संविधान में अनुच्छेद 356 के पदार्पण की आधारशिला थी। संविधान-सभा में अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 के प्रति उपजे संशयों के लिए सदन के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ये अनुच्छेद - यदि कभी प्रवृत किए जाते हैं तो राष्ट्रपति, जिसे यह शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, किसी भी प्रांत के प्रशासन को निलम्बित करने से पूर्व उचित सावधानी रखेंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति सर्वप्रथम सम्बन्धित प्रान्त को चेतावनी जारी करेंगे। यदि यह चेतावनी असफल रहती है तो राष्ट्रपति का दूसरा कदम होगा कि वह सम्बन्धित राज्य की जनता को निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से समस्या के समाधान का अवसर प्रदान करेंगे। यदि दोनों प्रकार की उपचारात्मक कार्यवाहियाँ असफल हो जाए, केवल तभी राष्ट्रपति द्वारा इस अनुच्छेद को प्रवृत किया जाएगा। इसके साथ ही अम्बेडकर ने भविष्य में संविधान को क्रियान्वित करने वालों के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हम आशा करते है कि ये आपातकालीन अनुच्छेद प्रवृत नहीं किए जाएगें तथा वे प्रायः मृतप्राय ही रहेंगे अर्थात् पुस्तक में ही बने रहेंगे।

सन्दर्भ

कान्स्टिट्यू एन्ट असेम्बली ऑफ़ इण्डिया, ड्राफ्ट कान्स्टिट्यूशन ऑफ़ इण्डिया,गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया प्रेस, न्यू दिल्ली,1948.

कान्स्टिट्यू एन्ट असेम्बली ऑफ़ इण्डिया, ड्राफ्ट कान्स्टिट्यूशन ऑफ़ इण्डिया, एज़ रिवाइज़ड बाइ द ड्राफ्टिंग कमेटी,गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया प्रेस, न्यू दिल्ली,1949.

कान्स्टिट्यू एन्ट असेम्बली डिबेट्स,गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया प्रेस, न्यू दिल्ली, 1949.

भारत का संविधान (1 जून 1996 को यथा विद्यमान), विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, नई दिल्ली, 1996.

अरोड़ा, एस. सी., **प्रेजीडेन्टस् रुल इन् इण्डियन स्टेट्स-ए स्टडी ऑफ़ पंजाब**, मित्तल पब्लिकेशनस्, न्यू दिल्ली, 1990

आस्टिन, ग्रेनविल, **द इण्डियन कान्स्टिट्यूश ऩ : कार्नरस्टोन ऑफ़ ए नेशन**, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटि प्रेस, बाम्बे, 1974.

कश्यप, एस. सी. एवं शाह, एम. सी. (सम्पादित) **यूनियन-स्टेट् रिलेशनस् इन् इण्डिया**, द इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कान्स्टिट्यूश ऩल एंड पार्लियामेन्टरी स्टडीज़, न्यू दिल्ली, 1969.

कश्यप, सुभाष, **संविधान की आत्मा**, नेशनल पब्लिकेशनस्, दिल्ली, 1971.

बसु दुर्गादास, **भारत का संविधान-एक परिचय**, (सातवां संस्करण) प्रेंटिस हाल इण्डिया, नई दिल्ली,1998.

महेश्वरी, एस. आर., **प्रेजीडेन्टस् रुल इन् इण्डिया**, मैकमिलन, दिल्ली, 1977.

मुंशी , के. एम., **द प्रेजीडेन्ट अण्डर द इण्डियन कान्स्टिट्यूश ऩ**, भारतीय विद्या भवन, बाम्बे, 1963.

राय, अश्विनी कुमार, **भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद** (उद्धृत), श्यामलाल शकधर (सम्पादित), **संविधान और संसद : गणतन्त्र के 25 वर्ष**, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1975.

सिवाच, जे. आर., **द इण्डियन प्रेजीडेन्सी**, हरियाणा प्रकाशन, दिल्ली, 1971.

सिवाच, जे. आर., **राज्यपाल का पद**, हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, चन्डीगढ़, 1975.

इण्डिया टुडे (न्यू दिल्ली)

इकॉनामिक एंड पॉलिटिक़ल वीकली (बाम्बे)

डेटा इण्डिया (न्यू दिल्ली)

पॉलिटिक्स इण्डिया (न्यू दिल्ली)

द स्टेट्समैन (न्यू दिल्ली)

द हिन्दु (मद्रास, दिल्ली)

नेशनल हैराल्ड (न्यू दिल्ली, लखनऊ)

नादर्न इण्डिया पत्रिका (इलाहाबाद)

पैट्रिअट् (न्यू दिल्ली)

संडे स्टैन्डर्ड (न्यू दिल्ली)

हितवाद (नागपुर)